फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत S.D.O. बनेडा मुकाम बनेडा

भंवरा हरिजन बनाम कालु हरिजन

किस्म मुकदमा वाद नं. 140 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20-2-18 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारे है / अन्य राजकार्य ... / आज अवकाश पत्रावली साबिक आदेश ...को पेश हो। 10-4-18 आज्ञा से रीडर	
	10.04.2018 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2013 से लम्बित होकर आज वादी को प्रस्तुत करने विपक्षीगण 01 व 03 के कायम मुकाम प्रार्थनापत्र हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 05 वर्षो से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। सुनवाई दिनांक 02.03.2017 को वादी को इस पूर्ति बाबत अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा आज सुनवाई के दौरान सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा	